



दिनांक 05.03.2024

प्रेस विज्ञप्ति 05/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर यातायात/कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को दिनांक: 08.03.2024 को मनाये जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रभावी सुरक्षा/यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:—

- समस्त थाना क्षेत्रों में महाशिवरात्रि कार्यक्रम के आयोजकों, शान्ति समितियों, शिविर प्रबन्धकों आदि के साथ जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्व से गोष्ठी कर ली जाये।
- जलाभिषेक हेतु प्रस्तावित धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिगत समुचित पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय तथा आवश्यकतानुसार एण्टी सेबोटॉज चेकिंग करायी जाय। क्यू0आर0टी0 टीमों को स्ट्रेटेजिक प्वाइंट पर तैयारी हालत में रखा जाये।
- महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कॉवड़ यात्रियों के आवागमन के मार्गों, संवेदनशील मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाये तथा सुरक्षा/यातायात व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर राहत हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना/चौकी प्रभारियों, बीट कर्मियों तथा पीआरवी कर्मियों को कॉवड़ यात्रियों की सुरक्षा तथा सकुशल यात्रा हेतु पूर्व से ब्रीफ कर दिया जाये। विशेष रूप से रात्रि में किसी भी कॉवड़ यात्रियों के साथ कोई मार्ग दुर्घटना न हो, इस हेतु विशेष पुलिस प्रबन्ध किये जाये।

- महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कॉवड़ मार्गों पर उचित दूरी पर पुलिस पिकेट/गस्त, फुट पेट्रोलिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा यूपी 112 के वाहनों को भी आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन करा लिया जाये।
- वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण करते हुए ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था समय से पूर्ण कराते हुए तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- त्यौहार रजिस्ट्रों को अद्यावधिक करते हुए पूर्व वर्षों की प्रविष्टियों का अवलोकन कर लिया जाये तथा घटनायें होने की सम्भावना वाले स्थानों को चिन्हित कर जनपद के क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा ऐसे समस्त स्थानों का भ्रमण करते हुए सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- पीए सिस्टम की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये तथा कांवड़ के मार्गों व धार्मिक स्थलों के आस-पास पोस्टर पार्टी को सक्रिय रखा जाये।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सामयिक सूचना के प्रति और अधिक सतर्क कर दिया जाये तथा प्रत्येक छोटी सी छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये।
- सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की मानिट्रिंग की जाये तथा सतर्क दृष्टि रखी जाये। भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्टो एवं अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा अफवाहों का खण्डन किया जाये।

उक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।



जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा

• **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.03.2024 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पटहेरवा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय कुमार निवासी सहदुल्लेपुर मठिया थाना गोपालगंज नगर जनपद गोपालगंज बिहार।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

• **05—05 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04/05.03.2024 को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पश्चिम तिराहा के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—शनी 2—आकाश उर्फ अपाचे उर्फ देवा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 05—05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शनी निवासी ग्राम जैनपुरनागर थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

2—आकाश उर्फ अपाचे उर्फ देवा निवासी नगला वैस थाना एरवाकटरा जनपद औरैया।

जनपद प्रतापगढ़/थाना जेठवारा

- लूट की घटना का अनावरण
 - 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के नगद रूपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड
- लूट की 02 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई)
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 04.03.2024 को थाना जेठवारा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भटनीपट्टी तिराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1-मो0सैफ 2-अदनान 3-मेराज उर्फ आदिल 4-शुभम उर्फ पारस 5-मो0अरमान को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के नगद रूपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लूट की 02 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.02.2024 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जेठवारा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जेठवारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-मो0सैफ निवासी जद्दोपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
- 2-अदनान निवासी महुआर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
- 3-मेराज उर्फ आदिल निवासी सोभीपुर हैसी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
- 4-शुभम उर्फ पारस निवासी पूरे नगिया पर्वतपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
- 5-मो0अरमान निवासी किशुनदासपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

- 1-लूट के नगद रूपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड।
- 2-लूट की 02 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई)।
- 3-02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद चित्रकूट/थाना मऊ

- घटना का अनावरण
- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूटी गयी कार
 - 03 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 05.03.2024 को थाना मऊ व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टिकरा गांव के बाहर शिवम पटेल का डेरा से 06 अभियुक्तों 1-शिवम 2-अजीत 3-सोनू 4-आफताब 5-रवि 6-सत्येंद्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी कार, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 28/29.02.2024 को थाना मऊ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-शिवम निवासी ग्राम टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट ।
- 2-अजीत निवासी ग्राम टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट ।
- 3-सोनू निवासी आमीन, गोविन्द गढ थाना ताला जनपद रीवा, म0प्र0 ।
- 4-आफताब निवासी पीथा कियारी, निरसा की चट्टी थाना निरसा जनपद धनबाड़, झारखण्ड ।
- 5-रवि निवासी वार्ड नं0-12 गोविन्द गढ थाना गोविन्द गढ जनपद रीवा, म0प्र0 ।
- 6-सत्येंद्र निवासी अजरौली थाना धाता जनपद फतेहपुर ।

बरामदगी

- 1-लूटी गयी कार ।
- 2-03 मोबाइल फोन ।
- 3-घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल ।
- 4-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस ।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली देहात

- 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 23 करोड़ रुपये कीमत के 22 किलो 365 ग्राम अवैध अफीम
- नगद रुपये 01 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 04.03.2024 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरकछा मोड़ के पास से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त हेमन्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 23 करोड़ रुपये कीमत के 22 किलो 365 ग्राम अवैध अफीम, नगद रुपये 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए ।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हेमन्त निवासी शिवगंगा अपार्टमेन्ट शिवसिटी निहालपुर मुण्डी थाना राजेन्द्र नगर जनपद इंदौर मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1—लगभग 23 करोड़ रुपये कीमत के 22 किलो 365 ग्राम अवैध अफीम।

2—नगद रुपये, 01 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

➤ जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बब्लू को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद मऊ/थाना मुहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नरेश को आजीवन कारावास व 65 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ कमिश्नरेट गाजियाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 11 करोड़ रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने अभियुक्त संजय चतुर्वेदी उर्फ लक्ष्य चतुर्वेदी उर्फ संजय उर्फ आर.के. शर्मा पुत्र अतर सिंह निवासी सी.188 न्यू पंचवटी कॉलोनी कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा परिजनो के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 11 करोड़ रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।
